COMMISSION ON HUMAN RELATIONS

CITY OF CHICAGO

तुरंत रिलीज़ के लिए

__ जुलाई, 2014

संपर्क सूत्र: केन गुन

(312) 744-4111

मेयर इमैन्युएल और मानवीय संबंधों के आयोग ने भेदभाव का शिकार होने वाले ग़ैर-अंग्रेज़ी भाषी पीड़ितों के लिए अतिरिक्त सहायता की घोषणा की है

मानवीय संबंधों पर सिटी का आयोग ने पोलिश, चीनी (मैंडेरियन), हिन्दी और अरबी भाषा के लोगों के लिए अनुवाद सेवाएँ शामिल कीं।

आज मेयर इमैन्युएल ने यह घोषणा की है कि मानवीय संबंधों का आयोग, सिटी की नगरीय अधिकारों की एजेंसी ने चार अतिरिक्त भाषओं को शामिल करने के लिए कॉलर्स हेतु विस्तारित अनुवाद भाषाओं की शुरूआत की है: पोलिश, मैंडेरियन, हिन्दी और अरबी। इस विस्तारित सहायता के पूर्व, आयोग में केवल अंग्रेज़ी और स्पैनिश भाषा के टेलीफ़ोन कॉल्स ही स्वीकार किए जा सकते थे।

"मानवीय संबंधों का आयोग कई वर्षों से भेदभाव के पीड़ितों की आगे बढ़कर रक्षा कर रहा है। मेयर इमैन्युएल ने कहा कि, "यह कानून तोड़ने वालों को दण्ड देने के लिए प्रवर्तन शक्तियों का उपयोग करता है, और पीड़ितों को आज्ञापत्र और वित्तीय राहत प्रदान करता है।" "इन अतिरिक्त भाषओं में अनुवाद सेवाएँ प्रदान करके, सिटी इस महत्वपूर्ण सुरक्षा सेवा का दायरा बढ़ाकर कई अतिरिक्त प्रवासी समुदायों को इसमें शामिल करने में सक्षम होगी।"

मानवीय संबंधों की आयुक्त मोना नोरिएगा ने कहा कि, "इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के द्वारा अपनी पहुंच को कई नई समुदायों तक फैलाने के अवसर को लेकर हम उत्साहित हैं। हमारा मानना है कि यह महत्वपूर्ण है कि सभी शिकागोवासी भेदभाव से मुक्त होकर रहें, और इन अनुवाद सेवाओं के जुड़ने के साथ ही अब कई लोगों को भेदभाव का सामना होने पर उसे चुपचान सहन नहीं करना पड़ेगा।"

मानवीय संबंधों का आयोग घरेलू मामलों, रोज़गार, सार्वजनिक आवास, ऋण और बॉन्डिंग में भेदभाव की शिकायतों की जाँच करके और निर्णय देकर शिकागो मानवाधिकार और निष्पक्ष आवास अध्यादेशों को लागू करता है। आयोग में ऐसे लोग शिकायत कर सकते हैं जिन्हें लगता है कि निम्न पंद्रह (15) सुरक्षित वर्गों में से किसी एक या अधिक में शामिल होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया गया है: जाति, लिंग, रंग, आयु, धर्म, विकलांगता, राष्ट्रीय मूल, वंश, लैंगिक प्रवृत्ति, लिंगभेद, वैवाहिक स्थिति, अभिभावकीय स्थिति, सैन्य सेवामुक्ति स्थिति, आय के स्रोत, और ऋण इतिहास (केवल रोज़गार शिकायतें)। कथित भेदभाव के

180 दिनों के अंदर एक शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए, और इसे मानवीय संबंध आयोग, 740 N. Sedgwick, 4th floor, पर डाक द्वारा, या ईमेल के माध्यम से दर्ज कराया जा सकता है। www.cityofchicago.org/humanrelations आयोग के वेब पेज से शिकायत प्रपत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार, प्रात: 9:00 बजे से – शाम 5:00 बजे तक है। नई शिकायतें दोपहर 3:00 बजे तक ली जाती हैं।

*सिटी के द्वेष अपराध कानून के तहत, आयोग द्वेष अपराधों के पीड़ितों के लिए वकालत की भी सुविधा देता है। कट्टरता को मिटाने और विभिन्न समूहों के लोगों को एक-साथ लेकर आने के लिए एजेंसी द्वारा शिक्षा, हस्तक्षेप, और निर्वाचन क्षेत्र निर्माण के पूर्व-सक्रिय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए, आयोग से (*312) 744-4111 *पर संपर्क करें, या* www.cityofchicago.org/humanrelations पर जाएँ।

###